

18/8/22

पञ्जाबी पेशे दूरी वकील या अधीन
 अनुपायन है। वकील या अधीन को
 सामान्य समय में अनेक बार
 आवाने मजबूत गयी परन्तु फिर
 भी वकील या अधीन अनुपायन रहे
 इन्होने या अधीन का प्र.पत्र
 09R3 में अन्त एपली अन्त
 पैली में खारिज किया जाता है
 पञ्जाबी को हम शुभ होकर एक
 तम से कहें। आदेश शुभ
 सामान्य में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 सागर लेख